

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2010

सं. 50/2010-आयकर

का.आ. 1665(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80ग की उप-धारा (2) के खण्ड (xii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2007-2008 एवं परवर्ती वर्षों हेतु उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ आई सी आई सी आई प्रूडेंशियल लाइफ इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड की वार्षिक योजना के रूप में बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकारी द्वारा यथाअनुमोदित आई सी आई सी आई प्रूडेंशियल लाइफ इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड की तात्कालिक वार्षिक योजना विनिर्दिष्ट करती है।

[फा. सं. 178/143/2006-आ.क.नि.-I]

पदम सिंह, अवर सचिव